



जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार



विद्युत भवन - 2, बेली रोड, पटना - 800 021, दूरभाष: +91-612-250 4980, फैक्स: +91-612-250 4960, वेबसाइट: www.brpls.in

पत्रांक:- BRLPS/Proj-SJY/1552/19/Vol-III/3261

दिनांक : 14-09-2022

कार्यालय आदेश

देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों का सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव राज्य सरकार द्वारा देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों की सतत् आजीविका, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण हेतु "सतत् जीविकोपार्जन योजना" की शुरुआत की गई। सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े योग्य परिवारों का योजना से जुड़ाव किया जाना है।

1. जिला प्रशासन द्वारा जीविका जिला कार्यालयों को देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े परिवारों की सूची उपलब्ध करायी जा रही है।
2. जीविका संपोषित ग्राम संगठनों द्वारा चयनित तीन सदस्यीय टीम (2 सामुदायिक संसाधन सेवी तथा 1 जीविका मित्र या बूक कीपर) द्वारा सूची के अनुसार सभी परिवारों का गृह भ्रमण कर सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव हेतु योग्य परिवारों का विवरणी तैयार किया जाना है।
3. प्रखंड इकाई द्वारा सूची प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर परिवारों का सत्यापन कराते हुए प्रतिवेदन जिला इकाई में साझा किया जाएगा। (अनुलग्नक-1)
4. योग्य परिवारों का सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव हेतु संबन्धित ग्राम संगठन द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।
5. जिला परियोजना प्रबन्धक द्वारा संबन्धित प्रखंड इकाइयों से प्राप्त प्रतिवेदन को 3 दिनों के अंदर जिला प्रशासन तथा जीविका राज्य इकाई से साझा किया जाएगा।

सभी जिला परियोजना प्रबन्धकों को निदेशित किया जाता है कि वे जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त सूची अनुसार उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए योग्य परिवारों का सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव करवाना सुनिश्चित करेंगे। संबन्धित ग्राम संगठनों में कार्य करने वाले तीन सदस्यीय टीम के सदस्यों को उनके कार्य दिवस के अनुसार जीविका आंतरिक सीआरपी पॉलिसी (BRLPS Internal CRP Policy) अनुसार प्रत्येक सदस्य को मानदेय का भुगतान संबन्धित जीविका प्रखंड इकाई द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर पर इस व्यय को सी.आर.पी. मद में एन.आर.एल.एम./ एन.आर.ई.टी.पी. शीर्ष के तहत व्यय एवं समायोजन किया जाएगा।

अनुलग्नक - यथोक्त

(राहुल कुमार)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

जापांक: BRLPS/Proj-SJY/1552/19/Vol-III/3261 दिनांक : 14-09-2022

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

जापांक: BRLPS/Proj-SJY/1552/19/Vol-III/3261 दिनांक : 14-09-2022

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग/सचिव-ग्रामीण विकास विभाग, पटना बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े परिवारों
का सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव संबन्धित प्रतिवेदन

जिला का नाम :

प्रखंड का नाम :

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पंचायत	गाँव	वार्ड	सतत् जीविकोपार्जन योजना हेतु योग्य लाभार्थी (हाँ/नहीं)	स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव (हाँ / नहीं)	अभियुक्ति
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

प्रखंड परियोजना प्रबन्धक

दिनांक :

जीविका द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत परिवार सर्वेक्षण प्रश्नावली

A. मूलभूत जानकारी

सर्वेक्षण का तारीख	
परिवार के मुखिया का नाम	
शहर/गाँव का नाम	
वार्ड संख्या	
पंचायत का नाम	
प्रखंड का नाम	
जिला का नाम	
ग्राम संगठन का नाम	

B. उत्तरदाता के बारे में जानकारी

1. उत्तरदाता का नाम : _____

2. उत्तरदाता की आयु : _____

3. उत्तरदाता का लिंग : पुरुष महिला अन्य

4. परिवारों के सदस्यों की संख्या:

व्यस्क पुरुष		व्यस्क महिला		बच्चे	लड़का: लड़की:
--------------	--	--------------	--	-------	------------------

5. परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या :

पुरुष		महिला	
-------	--	-------	--

6. पारिवारिक विवरणी:

क्र. सं.	परिवार के सदस्य का नाम (बड़े से छोटे उम्र के क्रम में)	आयु	व्यवसाय	मासिक आय	टिप्पणियां

नोट: यदि यहाँ तक की जानकारी प्राप्त करने तक परिवार की कोई भी महिला कार्य करने योग्य एवं समूह से जुड़ने लायक नहीं पाए जाती है तो सर्वेक्षण कार्य उचित कारण देते हुए समाप्त करे। अन्यथा लक्षित महिला लाभार्थी की श्रेणी में पाए जाने की स्थिति में आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रश्नावली को भरे।

C. लक्षित परिवार (महिला समूह से जुड़ी हैं / जुड़ने योग्य है) के संबंध में जानकारी

1. महिला का नाम : _____
2. महिला की आयु : _____
3. जन्म तिथि (दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार) : _____
4. वैवाहिक स्थिति : विवाहित अविवाहित विधवा
कृपया मही (✓) का चिह्न लगायें
तलाकशुदा विवाहित लेकिन पति के साथ नहीं रहती है
5. पति/पिता का नाम : _____
6. जाति श्रेणी: अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जन जाति (ST) पिछड़ा जाति (BC)
अत्यंत पिछड़ा जाति (EBC) अल्पसंख्यक (Minority) सामान्य (Gen.)
7. उत्तरदाता महिला किसी स्वयं सहायत समूह का सदस्य है : हाँ नहीं
8. यदि हाँ, तो स्वयं सहायत समूह (SHG) का नाम :

D. लक्षित परिवारों को चयन करने का जाँच प्रतिवेदन

लक्षित परिवार की परिभाषा : सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार, नीरा के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े परिवार के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को शामिल किया जायेगा।

(क) अनिवार्य मापदंड: अत्यंत निर्धन परिवारों का चयन तब होगा जब वे दो अनिवार्य मापदंडों को पूरा करते हैं।

क). चयन के लिए, सभी अनिवार्य मापदंड पूरे करने हैं :-							
(क)				(ख)			
ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार				देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार			
क्रसं	मापदंड	हाँ	नहीं	क्रसं.	मापदंड	हाँ	नहीं
1 (a)	ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े हैं			2 (a)	परिवार के सदस्य देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े हैं		
1 (b)	परिवार का मासिक आय (रु. 5000 से कम है)			2 (b)	परिवार का मासिक आय (रु. 5000 से कम है)		

नोट-सभी दो अनिवार्य मापदंड को अंकित करना आवश्यक है।



(ख) वैकल्पिक मापदंडो: अत्यंत निर्धन गरीब परिवारों का चयन तब होगा जब निम्न चार वैकल्पिक मापदंडो में से दो में नहीं आता हैं।

क्रसं	नीचे दिए गए मापदंडो में से चयन के लिए 2 में "नहीं" अनिवार्य है :-	हाँ	नहीं
1	परिवार के किसी भी सदस्य को पिछले 15 दिनों में मजबूरन भूखा नहीं रहना पड़ा है।		
2	परिवार के पास 5 कट्टा याउससे अधिक की खेती लायक ज़मीन है जिसका उपयोग स्वयं कर रहे है।		
3	परिवार के पास अपना पक्का मकान(छत एवं दिवार) है जो परिवार के सदस्यों के लिए उपयुक्त है।		
4	परिवार का कोई भी सदस्य बाहर कमाने गया है तथा पिछले तीन महीनों में लगातार घर में पैसा भेज रहा है।		

नोट- चयन के लिए 4 मापदंडो में से चयन के लिए '2' में 'नहीं' होना अनिवार्य है।

सी०आर०पी का नाम: हस्ताक्षर:

सी०आर०पी का नाम: हस्ताक्षर:

सी०आर०पी का नाम: हस्ताक्षर:

F. सर्वेक्षण किया गया परिवार (लाभार्थी):

चयनित

अस्वीकृत

कृपया सही (✓) का चिन्ह लगायें

ग्राम संगठन के सचिव का नाम :

तारीख के साथ हस्ताक्षर :

